न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 09/2025

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

बनाम्

1. चिमनाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा 5649/84730 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
2. जयराम पुत्र धर्माराम हिस्सा 126/8473 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
3. पप्पूराम पुत्र उदाराम हिस्सा 251/8473 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
4. प्रताप पुत्र उदाराम हिस्सा 249/16946 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
5. पालचन्द पुत्र महावीर हिस्सा 11297/677840 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
6. मुकेश पुत्र धनाराम हिस्सा 178/3435 जाति मेघवाल सा. भामासी तह० चूरू देह खातेदार।
7. मुकेश पुत्र धर्मपाल हिस्सा 126/8473 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
8. मन्जू पुत्री महावीर हिस्सा 11297/677840 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
9. रमेश कुमार पुत्र महावीर हिस्सा 11297/677840 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
10. राकेश कुमार पुत्र उदाराम हिस्सा 251/8473 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
11. रामुराम पुत्र धर्माराम हिस्सा 5649/84730 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
12. विधादेवी पत्नि प्रहलादकुमार हिस्सा 1581/84730 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
13. शंकरलाल पुत्र धर्माराम हिस्सा 11297/169460 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
14. सुगनाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा 11297/169460 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
15. संतोष पत्नि मेघाराम हिस्सा 10665/33892 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
16. सन्तोष पत्नि महावीर हिस्सा 11297/677840 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
17. सुरेश पुत्र धनाराम हिस्सा 65863/1270950 जाति मेघवाल सा. भामासी तह० चूरू देह खातेदार।
18. सुलतान पुत्र उदाराम हिस्सा 99401/2541900 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार।
19. सांवरमल पुत्र उदाराम हिस्सा 73631/847300 जाति मेघवाल सा. कोलासर तहसील नोहर देह खातेदार।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी
3. श्री श्रवण नायक अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 11/06/26

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रौही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 66 के सम्पूर्ण रकबा 16.9460 है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के सयुंक्त दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से अवैध रूप से पेड़ कटाने की रिपोर्ट उपतहसीलदार खुईयां (मय फर्द मौका पटवारी हल्का खुईयां) द्वारा प्राप्त हुआ। उपतहसीलदार खुईयां द्वारा रिपोर्ट (मय फर्द मौका) दिनांक 04.03.2025 को पेश किया जिसके अनुसार रोही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 48 रकबा 6.8290 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 118/48 रकबा 1.5180 हैक्टेयर में श्री रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल 40 धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर द्वारा उक्त दोनों खसरों में 14 खेजड़ी का वृक्ष उखाड़े गये। इस प्रकार 14 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के काटना पाया गया हैं।

उक्त वृक्षों को रामेश्वर पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल साकिन कोलासर को सुपुर्दगी में दिया गया है। सुपुर्दगीकार को पेड़ खुर्द बुर्द न हो इसकी हिदायत दी गई। उक्त हरे वृक्ष हटाने सम्बधी कोई स्वीकृति / आज्ञा अप्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं की है। हरे वृक्ष को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक (प्रतिबन्ध) लगाई हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्वयं की खातेदारी भूमि से हरे वृक्ष काटने पर विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना एंव मौके पर पड़े उक्त पेड़ो की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 3, 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि0 धर्माराम व शिशराम पुत्र रामुराम, मदनलाल पुत्र सुगनाराम, व सहीराम पुत्र सुगनाराम द्वारा पेड़ काटे गये है न की अप्रार्थी स0 3 व 5 द्वारा काटे गये है व अप्रार्थी स0 11 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की अप्रार्थी द्वारा छोटी झाड़िया काटी गयी है एवं उक्त पेड़ तुफान व प्राकृतिक आपदा से गिरे है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार रौही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 66 के सम्पूर्ण रकबा 16.9460 है० भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के सयुंक्त दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें से अवैध रूप से पेड़ कटाने की रिपोर्ट उपतहसीलदार खुईयां (मय फर्द मौका पटवारी हल्का खुईयां) द्वारा प्राप्त हुआ। उपतहसीलदार खुईयां द्वारा रिपोर्ट (मय फर्द मौका) दिनांक 04.03.2025 को पेश किया जिसके अनुसार रोही मौजा कोलासर प०ह० खुईयां के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 48 रकबा 6.8290 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 118/48 रकबा 1.5180 हैक्टेयर में श्री रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि0 धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर द्वारा उक्त दोनों खसरों में 14 खेजड़ी का वृक्ष उखाड़े गये। इस प्रकार 14 हरे खेजड़ी वृक्ष बिना किसी सक्षम अधिकारी के स्वीकृति आदेश के काटना पाया गया हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर रामुराम, सुगनाराम, शंकरलाल पि0 धर्माराम, श्री शिशराम, रामुराम, मदनलाल, सहीराम पि० सुगनाराम जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त 14 पेड़ की राशि 1400/– (अखरे एक हजार चार सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 28 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये खेजड़ी व अन्य पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 11/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नेहर